उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 26.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 26.12.2025 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 26.12.2025

मीडिया सेल, महोबा

छात्राओं की आवाज़ बनेंगे थानों में संचालित मिशन शक्ति केन्द्र, विद्यालयों/कालेजों में स्थापित की जा रही हैं शिकायत पेटिकाएं...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा में छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाए जाने तथा उन्हें सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना की गई है।

मिशन शक्ति केन्द्रों में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विद्यालयों/कॉलेजों में नियमित भ्रमण कर अध्ययनरत छात्राओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे वे अपनी समस्याओं, आशंकाओं एवं सुझावों को निर्भीक होकर साझा कर सकें।

इसी क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों के माध्यम से शिकायत/सुझाव पेटिकाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनकी चाबी संबंधित थाने के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के पास सुरक्षित रहेगी। इन पेटिकाओं के माध्यम से छात्राएं/बालिकाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं एवं सुझाव पुलिस तक गोपनीय रूप से पहुँचा सकेंगी। उक्त पेटिकाओं को प्रत्येक 07 दिवस में खोला जाएगा, प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा शिकायतकर्ता की पहचान को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.12.2025 को मिशन शक्ति केन्द्र, थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र स्थित डॉ. सी. वी. रमन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व जी. बी. इस्लामिया इंटर कॉलेज, कुलपहाड़ में शिकायत पेटिका स्थापित की गई, जिसके माध्यम से छात्राओं को यह संदेश दिया गया कि उनकी आवाज़ ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम के दौरान थाना कुलपहाड़ मिशन शक्ति टीम द्वारा छात्राओं को शिकायत पेटिका के उद्देश्य, उपयोग एवं गोपनीयता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई, जिससे छात्राएं बिना किसी भय एवं संकोच के अपनी समस्याएँ पुलिस तक पहुँचा सकें।

महोबा पुलिस का यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक संवेदनशील, विश्वासपूर्ण एवं प्रभावी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वास, सुरक्षा एवं सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 26.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत जनपदीय एस.ओ.जी एवं थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी सफलता। गैंगस्टर एक्ट में 25 हजार का इनामिया वाछित शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत आज दिनांक 26.12.2025 को जनपदीय एस.ओ.जी एवं थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई।

जनपदीय एस.ओ.जी एवं थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा धरौन गौशाला के पास पहाड़ के नीचे से जाने वाले जंगली रास्ते (बहद ग्राम धरौन, थाना कबरई) पर दबिश के दौरान अभियुक्त घनश्याम उर्फ घंसू पुत्र धनीराम पाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुरा, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किए गए।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कबरई पर मु0अ0सं0 351/2025, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

घनश्याम उर्फ घंसू पुत्र धनीराम पाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी–

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 40/2025, धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, महोबा
2.मु0अ0सं0 280/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम–

थाना कबरई पुलिस टीम–

1. श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया – थानाध्यक्ष कबरई
2. उ0नि0 आशीष कुमार यादव 3. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह 4. उ0नि0 अभिनव सिंह
5. हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद 6. कां0 कुंवर पाल 7. कां0 राहुल अग्निहोत्री 8. कां0 हरेन्द्र कुमार

एस.ओ.जी./स्वाट टीम महोबा–

1. उ0नि0 शिव प्रताप सिंह – प्रभारी स्वाट/सर्विलांस
2. उ0नि0 विवेक यादव 3. कां0 रंजीत सिंह 4. कां0 आशीष बघेल

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 26.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफ़र अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-26.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हार्दिक सिंह व उ0नि0 पवन गौड़ मय हमराह हे0कां0 शीलेन्द्र कुमार व कां0 इन्द्रपाल चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीप्रसाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम नौगांव थाना पनवाडी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए कस्बा व थाना पनवाडी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 259/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीप्रसाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम नौगांव थाना पनवाडी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 हार्दिक सिंह 2.उ0नि0 पवन गौड़
3. हे0कां0 शीलेन्द्र कुमार 4.कां0 इन्द्रपाल चौहान

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।